**खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बनाई गई योजनाएं**

4539. **श्री अशोक नाथ वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उन महिला उद्यमियों के लिए क्या योजनाए बनाई गई जिन्होंने व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये हैं।

(ख) ऐसी योजनाओं को विस्तृत रूप रेखा क्या है और इससे कितनी महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचा है ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और इस पर प्रतिवर्ष किये जाने वाले व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पिछड़े जिलों में महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम)** : (क) से (घ) खादी और ग्रामोद्योग योजनाए पुरुषों तथा महिलाओं सहित सभी वर्गों के लाभग्राहियों के लिए तैयार की जाती है। केवल महिला उद्यमियों हेतु न तो कोई अलग से कार्यक्रम है और न ही परिव्यय किए गए है। तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों में कारीगरों में 46 प्रतिशत महिलाएं हैं। फिर भी, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे कुछ राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों ने कुछ अगरबत्ती एकक कुछ महिला उद्यमियों को ही आबंटित किए है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया उनकी संख्या इस प्रकार थी 1985-86—281, 1986-87—257 और 1987-88—289 इन सभी प्रशिक्षित महिलाओं को प्रायोजित करने वाले संस्थानों द्वारा अपने यहां नौकरी दे दी गई है। वर्ष 1988-89 से, चूना उद्योग के अधीन आबंटित कार्यक्रमों का 5 प्रतिशत महिलाओं के लाभ के लिए निर्धारित किया गया है। कताई और बुनाई से पहले की प्रक्रिया और खादी के धागे की कताई, खाद्यान्नों तथा दालों का प्रसंस्करण, कागज और मसाले बनाना, कुटीर माचिस उद्योग अगरबत्ती बनाना, चिकित्सा उद्देश्यों के लिए वन्य पौधों को एकत्र करना, अखाद्य तिलहनों को एकत्र करना, ताड़ के रेशों के उत्पाद, बेंत और बांस की वस्तुए फैशुनेबल चमड़े की वस्तुएं बनाना, फल और वनस्पति का प्रसंस्करण, चाक बनाना, लाख की कलात्मक वस्तुएं, इत्यादि जैसे विशेष कार्य कलापों में महिला कामगारों का नियोजन अधिक सुनिश्चित है।

**Ad-hoc Import of Insecticide by Gujarat Agro-Industries Corporation**

4540. **SHRIMATI BIJOY CHAKRAVARTY :**

**SHRI M.A. BABY :**

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to

Unstarred Question 1539 given in the Rajya Sabha on the 8th August, 1988 and state: (a) what are the terms and conditions imposed by the Department of Chemicals on Gujarat Agro Industries Corporation for allowing huge ad-hoc import of banned/restricted insecticide Carbaryl; (b) whether it is a fact that before confirmation of ad-hoc import, Gujarat Agro Industries Corporation entered into an illegal agreement with M/s Rhone Poulenc Agro Chemicals (India) Limited, Bombay to sell the entrie quantity to that company in their trade name after formulations; if so, what are the details thereof; and

(c) if so, whether Government have since cancelled the licence for the ad-hoc import of the insecticide by the Gujarat Agro Industries Corporation and if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO) : (a) There are no specific terms and conditions for issue of such supplementary licences for restricted items in the Import Policy. These licences are given to actual users for formulation at their premises and sales within the country.

(b) As per information received from the company they did not enter into any prior agreement with M/s Rhone Poulenc Agro Chemicals (India) Limited, Bombay. They were given import licence dated 11-4-88 while sales agreement was entered into with Rhone Poulenc Agro Chemicals (India) Ltd. on 15-4-1988. The company has also informed that entire quantity of imported material was formulated in their own plant and bulk of sales were made by them. Only some quantity was given to Rhone Poulenc Agro Chemicals for sale.

(c) Does not rise.

**Manufacturing of export items by small scale units**

4541. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that National Small Industries Corporation Limited (NSIC), New Delhi are receiving regular export orders for various items. If so, the names and details of such items, categoriwise;

(b) whether it is also a fact that the Chairman and the Executive Director (Marketing and Export) of the Corporation under the new 20 Points Economic Programme of the Prime Minister to generate more employment and to end poverty speedily, have agreed in principle to encourage the setting up of new small scale units for the manufacture of such items of high quality; and

(c) if so, what kind of facilities, assistance, etc. NSIC would like to extend for such units and by when such units will start operating?